न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी–रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–594/2022 दावा घोषणा एवं खाता विभाजन।

रेणु पत्नी विरेन्द्रसिंह जाति कुम्हार साकिन बजावा तहसील चिड़ावा जिला झुझुनू (राज.)

–वादी–

बनाम

1–प्रभुदयाल पुत्र सुलतानराम जाति सुथार साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया
2–जयभगवान पुत्र बिहारीलाल जाति सुथार साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया
3–रामगोपाल पुत्र बिहारीलाल जाति सुथार साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया
4–ओ.बी.सी./पी.एन.बी. बैंक शाखा हरिपुरा जरिए मैनेजर।
5–तहसीलदार राजस्व संगरिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

1–ओम प्रकाश शर्मा वकील वादी
2–नवरत्न स्वामी वकील प्रति. 1 से 3
3–रविन्द्रकुमार भोभीया प्रति. 4
4–राज पैरोकार।

निर्णय

दिनांक :– 12/6/2023

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वाद अनतगर्त धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 75/116 योग खाता 3.669 है0 में से 1.265 है0 तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खाता संख्या 76/115 में 0.253 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। कुल भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

चक न. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 75/116

प. न.	मु.नं.	कि. न.
184/115	53	05–06–15/0.759,
185/115	54	2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 8–9/0.506, 11/2/0.127, 12–13–/0.506, 18 से 22/1.265, योग–3.669 है0 नहरी मय गै.मु.

चक न. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 76/115

प. न.	मु.नं.	कि. न.
185/115	54	23/0.253, योग–0.253 है0 नहरी

कि वादीया का प्रति0 के साथ अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि अनुसार घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन वादीया को खाता संख्या 75/116 में 1.012 है0 तथा खाता संख्या 76/115 में 0.253 है0 भूमि प्राप्त हुई है इस प्रकार खाता संख्या 75/116 में वादीया का 0.253 है0 हिस्सा कम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1–प्रभुदयाल पुत्र सुलतानराम का हिस्सा बढाया जावे तथा खाता संख्या 76/115 से प्रभुदयाल का नाम कलमजन किया जाकर 0.253 है0 वादीया के नाम दर्ज की जावे इसी अमर की घोषणात्मक डिकरी वादीया चाहती है। वादीया का प्रति0 के साथ अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब

क्रमशः.......2

12/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल रतनपुरा

अनुसार घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन वादीया के कब्जा काश्त में
न भूमि है :—

वादी रेणु पत्नी विरेन्द्रसिंह जाति कुम्हार साकिन बजावा की भूमि विवरण :—

चक न. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 75/116

प. न.	मु.नं.	कि. न.
185/115	54	3/1/0.228, 3/2/0.025, 8—13—18/0.759, कुल—1.012 है0

चक न. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 76/115

प. न.	मु.नं.	कि. न.
185/115	54	23/0.253, कुल—0.253 है0 नहरी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीया अपने कब्जा काश्त की भूमि पर बिना किसी बाधा के शान्ती पूर्वक काबिज होकर काश्त करवा रही है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है लेकिन वादीया के नाम कब्जा अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादीया को बहुत अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, इस कारण वादीया ने प्रतिवादीगण से कहा कि वे अपने अपने कब्जा काश्त अनुसार भूमि का खाता तकसीम करवा भूमि अपने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा रकम राज अलग से कायम करवाने में सहमति देवे तो प्रति0 ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पेशी मुकर्र की गई। मुकर्रा तारीख पैशी पर प्रतिवादीगण 1 ता 5 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया तथा बार—बार आवाज लगाई गई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हाजिर नहीं आने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री रविन्द्रकुमार भोभीया एडवोकेट ने अपना वकालतनामा पेश कर जबाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रति0 सं. 5 स्टेट की ओर से राज पेरोकार ने जबाब प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली महंगाई राहत कैम्प प्रशासन गावों के संग अभियान ग्राम हरिपुरा में पेश हुई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने प्रार्थना पत्र आ09 नियम 7 व धारा 151 सी.पी.सी. जरिये अधिवक्ता नवरत्न स्वामी पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र अधिवक्ता वादी ने नौ ऑब्जक्शन किया अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का स्वीकार किया गया। उसी रोज वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने राजीनामा तहरीर व तकमील कर पेश किया जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा हो जाने से विवाधक की आवश्यकता नहीं रही। साक्ष्य वादी में वादी ने अपना शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने मुताबिक राजीनामा दावे को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। पत्रावली राजस्व अभियान में राजीनामा पेश होने से वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री जाना न्यायोचित है, अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डक्री किया जाता है कि वादी मुताबिक घरू विभाजन एवं राजीनामा अनुसार चक नं. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 75/116 में कुल 1.012 है0 व खाता संख्या 76/115 में 0.253 है0 इस प्रकार कुल 1.265 है0 भूमि की खातेदार काश्तकार है इस प्रकार चक नम्बर 4 एच.आर.पी. संख्या

क्रमशः.......3

12/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)

/115 में प्रभुदयाल का 0.253 है0 भूमि कलमजन कर वादी का नाम अंकित किया जावे खाता संख्या 75/116 से वादी रेणु का 0.253 है0 व प्रतिवादी संख्या 3 का 0.063 है0 भूमि कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 1—प्रभुदयाल का हिस्सा बढाया जाकर कुल 1.392 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाता से प्रति0 संख्या 03—रामगोपाल का नाम कलमजन किया जावे तथा मुताबिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 का निम्न प्रकार से खाता विभाजन कर रकम राज अलग अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते है :—

(क) वादी रेणु पत्नी विरेन्द्रसिंह जाति कुम्हार साकिन बजावा सूरो का के हिस्सा की भूमि विवरण :—

चक न. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 75/116

पत्थर न.	मु.नं.	किला नम्बर
185/115	54	3/1/0.228, 3/2/0.025, 8—13—18/0.759,
		योग—1.012 है0 नहरी मय गै.मु.

चक न. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 76/115

पत्थर न.	मु.नं.	किला नम्बर
185/115	54	23/0.253,
		योग—0.253 है0 नहरी

(ख) प्रतिवादी संख्या 1—प्रभुदयाल पुत्र सुलतानराम जाति सुथार साकिन हरिपुरा के हिस्सा की भूमि विवरण :—

चक न. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 75/116

पत्थर न.	मु.नं.	किला नम्बर
184/115	53	05—06—15/0.759,
185/115	54	11/2/0.127, 20—21/0.506,
		योग—1.392 है0 नहरी मय गै.मु.

(ग) प्रतिवादी सं0 02—जयभगवान पुत्र बिहारीलाल जाति सुथार साकिन हरिपुरा के हिस्सा की भूमि विवरण :—

चक न. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 75/116

पत्थर न.	मु.नं.	किला नम्बर
185/115	54	2/1/0.228, 2/2/0.025, 9—12—19—22/1.012,
		योग—1.265 है0 नहरी मय गै.मु.

नोट—यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

यह निर्णय आज दिनांक 12/6/2023 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

12/6/2023

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

शिविर स्थल रतनपुरा

डिगरी एंव मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– सहायक कलक्टर, संगरिया

बइजलास– रमेश देव आर ए एस

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

रेणु पत्नी विरेन्द्रसिंह जाति कुम्हार साकिन बजावा सुरो का तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)

–वादी––

बनाम

1–प्रभुदयाल पुत्र सुलतानराम जाति सुथार साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया
2–जयभगवान पुत्र बिहारीलाल जाति सुथार साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया
3–रामगोपाल पुत्र बिहारीलाल जाति सुथार साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया
4–ओ.बी.सी. / पी.एन.बी. बैंक शाखा हरिपुरा जरिए मैनेजर।
5–तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण–

दावा घोषणा एवं खाता विभाजन

मुकद्मा नम्बर 594 / 2022

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट वकील वादी मिन जानिब नवरत्न स्वामी एडवोकेट प्रति. 1 से 3 व रविन्द्रकुमार भोभीया एडवोकेट प्रति. 4 पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–वादी मुताबिक घरू विभाजन एवं राजीनामा अनुसार चक नं. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 75 / 116 में कुल 1.012 है0 व खाता संख्या 76 / 115 में 0.253 है0 इस प्रकार कुल 1.265 है0 भूमि की खातेदार काश्तकार है इस प्रकार चक नम्बर 4 एच.आर.पी. संख्या 76 / 115 में प्रभुदयाल का 0.253 है0 भूमि कलमजन कर वादी का नाम अंकित किया जावे तथा खाता संख्या 75 / 116 से वादी रेणु का 0.253 है0 कम करे व प्रतिवादी संख्या 3 का 0.063 है0 भूमि कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 1–प्रभुदयाल का हिस्सा बढाया जाकर कुल 1.392 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाता से प्रति0 संख्या 03–रामगोपाल का नाम कलमजन किया जावे तथा मुताबिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 का निम्न प्रकार से खाता विभाजन कर रकम राज अलग अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते है :–

(क) वादी रेणु पत्नी विरेन्द्रसिंह जाति कुम्हार साकिन बजावा सूरो का के हिस्सा की भूमि विवरण :–

चक न. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 75 / 116

पत्थर न.	मु.नं.	किला नम्बर
185 / 115	54	3 / 1 / 0.228, 3 / 2 / 0.025, 8–13–18 / 0.759,
		योग–1.012 है0 नहरी मय गै.मु.

चक न. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 76 / 115

पत्थर न.	मु.नं.	किला नम्बर
185 / 115	54	23 / 0.253, योग–0.253 है0 नहरी

क्रमशः.......2

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थान हरिपुरा

) प्रतिवादी संख्या 1–प्रभुदयाल पुत्र सुलतानराम जाति सुथार साकिन हरिपुरा के
सा की भूमि विवरण :–
चक न. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 75/116

पत्थर न.	मु.नं.	किला नम्बर
184/115	53	05–06–15/0.759,
185/115	54	11/2/0.127, 20–21/0.506,
		योग–1.392 है0 नहरी मय गै.मु.

(ग) प्रतिवादी सं0 02–जयभगवान पुत्र बिहारीलाल जाति सुथार साकिन हरिपुरा के
हिस्सा की भूमि विवरण :–
चक न. 4 एच.आर.पी. खाता संख्या 75/116

पत्थर न.	मु.नं.	किला नम्बर
185/115	54	2/1/0.228, 2/2/0.025,
		9–12–19–22/1.012,
		योग–1.265 है0 नहरी मय गै.मु.

नोट–यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निज........X........मुब्लिक........X........बाबत........X........।.खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक........X........को अदा करे।। बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/6/2023 को जारी किया गया

12/6/2023

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर स्थल रतनपुरा

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official